

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

2022
303

रीडर/ 2022/276 मुकदमा नंबर 212/2022

दिनांक :- 29/8/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्राथीगण
1. शंकरलाल पुत्र लुम्बाराम जाति नाई निवासी मुंगडा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर।		1. गोबरराम पुत्र लुम्बाराम 2. रूपाराम पुत्र गुमनाराम 3. नेमीचन्द पुत्र मिश्राराम 4. मु. तीजोदेवी पत्नी मिश्राराम 5. विशनाराम पुत्र मिश्राराम 6. चम्पाराम पुत्र सकाराम 7. ढलाराम पुत्र माधाराम 8. मानाराम पुत्र माधाराम 9. रामलाल पुत्र हिमताराम 10. सुजाराम पुत्र सकाराम सभी जातियान भील निवासीयान मुगडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर। 11. नगरपरिशद बालोतरा जरिये आयुक्त/समापति नगरपरिशद बालोतरा 12. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।

आदेश

दिनांक :- 29.8.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मुंगडा पटवारी क्षेत्र मुंगडा मू-निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 1526/760 रकबा 10 बीघा व 1531/760 रकबा 12-08 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावें कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

क्रमांक / रीडर / 2022 / 277

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

श्री नरेश सोनी
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
दिनांक :- 29/8/22

उपखण्ड अधिकारी,
पीठासीन अधिकारी
बालोतरा

